6 124

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	141/2019 ग्राम पंचायत ईटावा / हनुमानप्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/20	अभिभावक पक्षकार उपस्थित। आज कन्डोलेंस हो जाने। R.A.A. महोदया अवकाश पर होने/अन्य व्यस्तकीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/11/20 को पेश हो।	11/11
11/11/20	अभिभावक पक्षकार उपस्थित। आज कन्डोलेंस हो जाने। महोदया अवकाश पर होने/अन्य व्यस्तकीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/2/21 को पेश हो।	
02/2/21	अभिभावक पक्षकार उपस्थित पूर्व आदेशानुसार मिसल दिनांक 05/2/21 को पेश हो।	
	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी की और से अधिवक्ता गणेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस सुने जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस अपीलार्थी से सहमती जाहिर करते हुये निवेदन किया कि रेस्पो. हनुमान द्वारा मात्र रेस्पो. रामेश्वर लाल पुत्र जवाहर, रामेश्वर लाल पुत्र हनुमान प्रसाद एवं ओमप्रकाश पुत्र भूराराम के विरुद्ध ही आदेश जेर अपील के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया है, जिससे अपीलार्थी किसी भी रूप से प्रभावित नही है एवं न ही उनके विरुद्ध कोई आदेश प्राप्त किया गया है। अत: अपीलार्थी की हद तक आदेश जैर अपील को प्रभावहीन किये जाने का स्पष्ट आदेश प्रदान कर दिया जावे। चूँकि उभयपक्ष इस अपील के अपीलार्थी की हद तक आदेश जैर का प्रभाव समाप्त रखे जाने का आदेश दिये जाने हेतु सहमत है। अत: प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर आदेश जैर अपील दिनांक 26/10/2017 एवं 11/06/2018 को अपीलार्थी ग्राम पंचायत ईटावा पंचायत समिति सांभर लेक की हद तक प्रभावहीन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 5/2/21 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	Ganesh 5/2/21 Respond. No. 1 Rahul 5/2/21

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)